ELECTROSTEEL STEELS LIMITED

Plant Office:
Village: Siyaljori, PO - Jogidih
PS - Siyaljori, District - Bokaro
Jharkhand - 828 303
CIN: L27310JH2006PLC012663

Date: 29.12.2018

To,
Divisional Forest Officer,
Bokaro Forest Division, Bokaro,
Jharkhand.

Subject: Response to EDS raised vide letter no 3523 dated 19.12.2018 seeking diversion of 184.23 Ha of forest land Proposal Ref. No : FP/JH/ENCRH/37467/2018

Sir,

With reference to the above subject and reference, please find our responses against each of the queries raised by your good offices with regards to our proposal referred above.

I. In response to para I, it is stated that the answer to the query "whether non-forest or revenue land is required to be provided by user agency" had been replied to as 'No' because the land was being identified at that time of filing of the proposal. The same is being changed to 'Yes' now.

The Land and Revenue department of the Jharkhand State government has sincerely helped us to identify suitable government land in the Districts of Giridih and Lohardaga for fulfilling the compensatory afforestation requirements of the entire 184.23 Ha.

The land proposed to be transferred to the forest department is enclosed herewith for your kind perusal.

Identified Land at Lohardaga for Compensatory Afforestation

Sl. No.	Village	Khatiyan as per new survey details of proposed land			Nature
		Khata No.	Plot No.	Area (In Acres)	
1	Masmano (Bhandra)	420	2689	10.22	Sal Bag
			2692	8.20	
			2694	27.80	
			2771	11.10	

Plant Office:
Village: Siyaljori, PO - Jogidih
PS - Siyaljori, District - Bokaro
Jharkhand - 828 303
CIN: L27310JH2006PLC012663

			2677	11.02	
			2678	8.10	
			Total	**76.44**	
2	Bedal (Bhandra)	332	715	45.00	Sal Bag
			Total	**45.00**	
3	Udarangi (Bhandra)	221	546	16.82	Jangal
			1610	16.46	
			Total	**33.28**	
4	Salgi (Kundu)	352	381	7.67	Jangal Jhari
			Total	**7.67**	
	G_Total			**162.39**	

Identified Land at Giridih for Compensatory Afforestation

Forest Environment & Climate change department Jharkhand, Ranchi.						
Sl. No.	**Name of Block**	**Village**	**Thana No.**	**Khatiyan as per new survey details of proposed land**		
				Khata No.	**Plot No.**	**Area (In Acres)**
1	Giridih	Karharwari	194	256	13	16.96
				236	188	38.17
				236	334	10.30
				221	338	12.49
				234	961	4.46
				234	2418	55.02
				234	1408	8.04
				234	1418	40.15
				Total		**185.59**
2	Dewari	Pathratand	530	1	6	2
		Gamharatand	44	19	12	12.04
				19	138	8.00
				19	139	18.00
		Gidhatand	543		5	3.20
		Sonre	53	19	1	16.20
3	Begabad	Mahuar	17G	117	4207	48.77
				Total		**108.21**
Grand Total						**293.8**

We have requested your good offices on 27.12.2018 to help obtain suitability certificate, no encroachment certificate, and compensatory afforestation scheme for the identified compensatory afforestation land from the respective DFOs.

DGPS map and the KML file of non-forest land identified (based on the demand note provided to us by the District Administration of Giridih and Lohardaga) for compensatory afforestation at both the districts is being uploaded on the PARIVESH portal. The demand note received from both the districts are being attached (**Annex 1 and 2**).

We undertake to abide by the Compensatory Afforestation Scheme with estimate, which is currently being prepared and submitted by the Divisional Forest Offices of Giridih and Lohardaga as and when the Scheme is brought to our attention (**Annexure 3**).

We are attaching the suitability certificate and no-encroachment certificate of compensatory afforestation land identified at Giridih (letter no. 3045 dated 22.12.2018). (**Annexure 4**)

II. In response to para II, it is stated that the settlement of rights under Forest Rights Act, 2006 on forest land proposed to be diverted was undergoing and gram sabha has been conducted. We have requested the Divisional Commissioner, Bokaro office for a certificate under The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. An undertaking to the effect that FRA certificate will be submitted before the proposal is sent to MoEF is attached there with **(Annexure 3)**

III. In response to para III it is stated that the demand for lease holding for the GM jungle-jhari land have been paid and No-Objection Certificate from District Commissioner, Bokaro has been applied for. An undertaking to the effect that FRA certificate will be submitted before the proposal is sent to MoEF is attached there with **(Annexure 3)**

IV. In response to para IV it is stated that the existing Environmental Clearance for the plant was submitted. The Environmental Clearance was applied for South Parbatpur based on the EIA/EMP study which consisted of impact

assessment in villages of Bandhdih, Bhagabandh, Hutupathar, Dhandabar, Alkusa, Burhibinor and Siyaljori. The Environmental Clearance was then applied only with alternative location mentioned as South Parbatpur and after the public hearing and EIA/ EMP, the plant was located at South Parbatpur. The EC would be revised for enhancing the existing production capacity of the plant after the approval of Stage 1 of the Forest Diversion Proposal is granted by MOEF. An undertaking to this effect is attached herewith. (**Annexure 5**)

V. In response to para V, it is stated that ESL has prepared the marking list of trees standing over the applied forest and jungle- jhari land. The list can be verified and attested by the concerned forest officials. The list is attached as **Annexure 6**.

VI. In response to para VI it is stated that the Ld Court in TS 25/96 [TA 33/2007] has framed issue No. 6 as under:

"Is the entire area of each suit plot acquired by the Bihar Forest Department?

Admittedly, the lands involved in TS 25/96 were plot nos. 1120, 1159, 1389 and 1321 in Khata No. 58, Village- Bhagabandh. The Ld. Court in its finding has recorded that it is evident that there is an area of 267.58 Acres declared to be protected forest of 17 plots whereas the suit plots are consisting of an area of 275.58 acres only. It is evident that each area of the suit plot has not been declared to be protected forest and as such the area settled to the plaintiffs out of each suit plot are exempt to be declared as protected forest.......

It is pertinent to take note of the factor that under the above discussion it could be observed that the entire area of each suit plot have not been acquired and the portion of each suit plots have been left to be possessed by the raiyats......

As revealed by the aforesaid discussions this issue is decided in negative. In other words, this issue has been decided in favour of plaintiffs."

It is evident from above that the finding of the Ld Court in TS 25/96 is with respect to the area of 275.58 Acres of the suit plots and not merely 17.68 Acres even though the decree has been given with respect to the same area. In fact, as held by the Ld Court the rights of the individuals were not abridged in terms of the Notification dated 24.05.1958 and as such the Ld Court has held that the claim of the Forest Department based on the Notification is a mere myth. A copy of the judgement is also annexed as **Annexure 7**.

Relying on the above finding of the Ld Court, the JHC in WPC in 2033/ 2015 stated that: "Furthermore the land over which the factory has been established, never happens to be forest land and this declaration has been made by the competent Civil Court, when the vendor the of the petitioner had filed a title suit before the civil court for declaration of right, title and interest over the land including the land over which the factory does exist. In that case, the forest department was the party. The order though has been challenged by the forest department in an appeal bearing Title Appeal No. 33/2007 before the District Judge, Bokaro but so long the decree passed by the trial court does subsist, the land which is being claimed to be the forest land, cannot be said to be the forest land and under these situations, the impugned Order can certainly be said to be bad on both counts". (**Annexure 8**)

In this context, it is further pertinent to mention that the Division Bench of the JHC in LPA No. 489 of 2010 has recorded that "The LPA 489 of 2010 have been preferred by the original respondents in WP(C) 3362 of 2009 and WP(C) 2515 of 2009 whereby the proceedings initiated by the appellants under Bihar Public Land Encroachment Act has been challenged mainly for the reason that the place at which the plant of the respondents is situated is not a forest land ...

The right, title and interest of ESL is a matter sub-judice before the District Court, Bokaro. Thus no proceedings under the Jharkhand Public Land Encroachment Act can be initiated during pendency of the Title Appeal No. 33/2007". **(Annexure 9)**

In the above background, the question that the decree in TS 25/96 is

Plant Office:
Village: Siyaljori, PO - Jogidih
PS - Siyaljori, District - Bokaro
Jharkhand - 828 303
CIN: L27310JH2006PLC012663

limited to only 17.68 Acres is misconceived for it does cover the entire land in the suit plots measuring an area of 275.58 Acres.

VII. The undertaking for payment of NPV is being submitted. (**Annexure 10**)

VIII. In response to para VIII it is stated that the details of Annexures (xi) to (xvii) is as follows:

Annexure (xi)	NoC under Forest right Act, 2006	To be submitted
Annexure (xii)	NoC from Gram Sabha	To be submitted
Annexure (xiii)	Copy of letter for allocation of jungle- jhari land by Government of Jharkhand for raising Compensatory Afforestation	To be submitted
Annexure (xiv)	Copy of Non- Encroachment Certificate	Giridih - Enclosed Lohardaga - To be submitted
Annexure (xv)	Copy of suitability certificate issued by DFO for raising afforestation	Giridih Enclosed Lohardaga - To be submitted
Annexure (xvi)	Scheme of Compensatory Afforestation	To be submitted
Annexure (xvii)	Geo Referenced Digital Plan in Shape file of Compensatory Afforestation land	Will be uploaded on the Parivesh Website.

Yours faithfully,
For and on behalf of ESL

Authorised Signatory

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड, रांची को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थायी हस्तांतरण के लिए देय राशि की गणना :-

क्र0	ग्राम	हाल सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण			किस्म	बाजार मूल्य (निबंधन कृषि प्रति डिसमिल	सलामी = प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य	वार्षिक व्यवसायिक लगान = बाजार मूल्य × 5%	पूंजीकृत मूल्य = वार्षिक व्यवसायिक लगान × 25	देय सेस = पूंजीकृत मूल्य × 145%	स्थायी बन्दोबस्ती हेतु मूल्य = सलामी+पूंजीकृत मूल्य+सेस (8+10+11)	प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित वृक्षों का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा निर्धारित मूल्य	कुल (12+13)
		खाता	प्लॉट नं0	रकबा									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मसमानों (भंडरा)	420	2689	10.22	साल बाग	2,344.00	1,79,17,536.00	8,95,876.80	2,23,96,920.00	3,24,75,534.00	7,27,89,990.00	9,21,93,620.00	164983610.00
			2692	8.20									
			2694	27.80									
			2771	11.10									
			2677	11.02									
			2678	8.10									
			कुल	76.44									
2.	बेदाल (भंडरा)	332	715	45 ए0	साल बाग	2,635.00	1,1857,500.00	5,92,875.00	1,48,21,875.00	2,14,91,718.75	4,81,71,093.75	2,19,88,296.00	70159389.75
3.	उदरंगी (भंडरा)	221	546	16.82	जंगल	2,585.00	86,02,880.00	4,30,144'.00	1,07,53,600.00	1,55,92,720.00	3,49,49,200.00	56,64,018.00	40613218.00
			1610	16.46									
			कुल	33.28									
4.	सलगी (कुडू)	352	381	7.67 ए0	जंगल झाडी	2,552.00	1957384.00	97869.20	2446730.00	3547758.50	7951872.50	3288828.00	11240700.50
	कुल			162.39ए0		10116.00	40335300.00	2016765.00	50419125.00	73107731.25	163862156.25	123134762.00	286996918.25

उपरोक्त गणना के अनुसार 162.39 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान में दर्ज गैरमजरूआ मालिक (सालबाग, जंगल, जंगलझाड़ी) इत्यादि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी हस्तांतरित करने हेतु सलामी (4,03,35,300.00)+पूंजीकृत मूल्य (5,04,19,125.00) + सेस (7,31,07,731.25) + प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित वृक्षों का मूल्य (12,31,34,762.00) = कुल 28,69,96,918.25 रू0 देय होता है ।

[signature] 19/12/18

उपायुक्त, लोहरदगा ।

उपायुक्त का कार्यालय,लोहरदगा
(राजस्व–शाखा)

पत्रांक 1722......./रा0, दिनांक 19:12:18

प्रेषक,

उपायुक्त,लोहरदगा।

सेवा में,

मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 ।

विषयः– मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4999(5)/रा0 दिनांक 18.12.18 के द्वारा मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 162.39 एकड़ गैरमजरूआ मालिक (सालबाग, जंगल, जंगलझाड़ी इत्यादि) भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को स्थायी हस्तांतरण के निमित्त राशि की गणना तालिका संलग्न करते हुए अनुरोध है कि गणना के अनुसार कुल राशि मों0 28,69,96,918.25 रू0 का 80% राशि मो0 22,95,97,534.60 रू0 मुख्य शीर्ष 0029 उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 उप शीर्ष 0009 विस्तृत शीर्ष –01– ईकाई (प्राप्तियाँ) में जमा कर सूचित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्न – यथोक्त ।

विश्वासभाजन

19/12/18

उपायुक्त, लोहरदगा।

कार्यालय जिला राजस्व शाखा, गिरिडीह।

पत्रांक .... /रा०

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव,
झारखण्ड, रांची।

गिरिडीह, दिनांक.................. 2018

विषय :— मेर्सस इलेक्ट्रो स्टील लि० को क्षतिपूरक वन रोपन के लिए चिन्हित भूमि के अनुमानित मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रेषण।
प्रसंग :— विभागीय पत्रांक 4999 (5) रा०, दिनांक 18.12.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पत्रांक 1511 दिनांक 27.06.18 एवं 3006 दिनांक 18.12.2018 द्वारा क्षतिपूरक वन रोपन हेतु प्रश्नगत भूमि के उपयुक्तता प्रमाण पत्र दी गई है। जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के द्वारा उक्त जमीन के सर्किल दर एवं खरीद–बिक्री दस्तावेज के आधार पर गई है। तदनुसार हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि मूल्य की गणना विवरणी निम्नवत है :—

क्र0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं0	प्लॉट नं.	रकवा	सर्किल दर प्रति एकड़	बाजार दर प्रति एकड़	सलामी	सलामी का व्यवसायिक लगान 5%	व्यवसायिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य	व्यवसायिक लगान का 145%	145% सेस का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य	कुल देय राशि (10+12+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	देवरी	पत्थराटांड़	530	1	6	2.00	297000.00	-	594000.00	29700.00	742500.00	43065.00	1076625.00	2413125.00
		गम्हराटांड़	44	19	12	12.04	264000.00	-	3178560.00	158928.00	3973200.00	230445.60	5761140.00	12912900.00
				19	138	8.00	264000.00	-	2112000.00	105600.00	2640000.00	153120.00	3828000.00	8580000.00
				19	139	18.00	264000.00	-	4752000.00	237600.00	5940000.00	344520.00	8613000.00	19305000.00
		गिधाटांड़	543		5	3.20	407000.00	520833.33	1666666.66	83333.33	2083333.32	120833.33	3020833.31	6770833.29
		सोनरे	53	19	1	16.20	231000.00	-	3742200.00	187110.00	4677750.00	271309.50	6782737.50	15202687.50

2	बेंगाबाद	महुआर	17 G	117	4207	48.77	979000.00	1200832.05	58564579.08	2928228.95	73205723.85	4245931.98	106148299.58	237918602.51
		कुल योग :–				**108.21**			**74610005.73**	**3730500.29**	**93262507.17**	**5409225.42**	**135230635.39**	**303103148.30**

अतः अनुरोध है कि मेर्सस इलेक्ट्रो स्टील लि0 के अनुमानित मूल्य **तीस करोड़ एकतीस लाख तीन हजार एक सौ अड़तालीस रूपये** मात्र उचित शीर्ष में जमा करने हेतु निदेश दिया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह।

ज्ञापांक 2197 /रा0, दिनांक 19/12 2018

प्रतिलिपि :– मेर्सस इलेक्ट्रो स्टील लि0, सियालजोरी, जिला–बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/12

अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह।

कार्यालय, जिला राजस्व शाखा गिरिडीह।

पत्रांक 2225 /रा०

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

मेर्सस इलेक्ट्रो स्टील लि0,
सियालजोरी, जिला–बोकारो।

गिरिडीह, दिनांक 22/12/2018

विषय :– **क्षतिपूरक वन रोपन के लिए चिन्हित भूमि के अनुमानित मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 4999 (5) रा0, दिनांक 18.12.18 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 2197 दिनांक 19.12.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पत्रांक 3045 दिनांक 22.12.18 क्षतिपूरक वन रोपन हेतु प्रश्नगत भूमि के उपयुक्तता प्रमाण पत्र दी गई है। जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के द्वारा उक्त जमीन के सर्किल दर एवं खरीद–बिक्री दस्तावेज के आधार पर की गई है। तद्नुसार मौजा–करहरबारी, थाना नं0–194, अंचल–गिरिडीह के हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि मूल्य की गणना विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	खाता नं0	प्लॉट नं.	रकवा	सर्किल दर प्रति एकड़	बाजार दर प्रति एकड़	सलामी	सलामी का व्यवसायिक लगान 5%	व्यवसायिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य	व्यवसायिक लगान का 145%	145% सेस का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य	कुल देय राशि (7+9+11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	256	13	16.96			23560821.15	1178041.06	29451026.43	1708159.53	42703988.33	95715835.90
2	236	188	38.17			53025739.57	2651286.98	66282174.46	3844366.12	96109152.97	215417067.01
3	236	334	10.30			14308753.41	715437.67	17885941.76	1037384.62	25934615.55	58129310.72
4	221	338	12.49			17351100.01	867555.00	21688875.01	1257954.75	31448868.76	70488843.78
5	234	961	4.46	528000.00	1389199.36	6195829.15	309791.46	7744786.43	449197.61	11229940.33	25170555.90
7	234	2418	55.02			76433748.79	3821687.44	95542185.98	5541446.79	138536169.68	310512104.45
8	234	1408	8.04			11169162.85	558458.14	13961453.57	809764.31	20244107.67	45374724.10
9	234	1418	40.15			55776354.30	2788817.72	69720442.88	4043785.69	101094642.18	226591439.36
कुल योग :–			**185.59**			**257821509.22**	**12891075.46**	**322276886.53**	**18692059.42**	**467301485.47**	**1047399881.22**

अनुमानित मूल्य **एक अरब चार करोड़ तिहत्तर लाख निन्यानवे हजार आठ सौ इक्कासी रूपये** मात्र।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह।

SAVE SAL TREE SAVE JHARKHAND

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट--पचम्बा, जिला--गिरिडीह, पीन कोड--815316

email-dfogiridiheast@jharkhandmail.gov.in, dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक-- 3045 दिनांक-- 22-12-2018

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

विषय -- गैर--मजरूआ जंगल--झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग -- आपका कार्यालय पत्रांक--2153 दिनाक--14.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा गिरिडीह प्रखण्ड से संबंधित 338.34 एकड़ भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया गया है।

आवेदित स्थल मौजा-- तेलोडीह, थाना-- गिरिडीह, थाना न0--109, जिला-- गिरिडीह, खाता न0--70, प्लौट सं0--5,6 एवं 967 एवं मौजा-- करहरबारी, थाना-- गिरिडीह, थाना न0--194 के प्लौट न0--13, 188, 334, 338, 961, 1338, 2418, 1488 एवं 1418 का स्थलीय जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी, गिरिडीह वन प्रक्षेत्र द्वारा की गई तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। जाचोरान्त पाया गया कि उक्त दोनो मौजा में प्रस्तावित कुल रकबा-- 338.39 एकड़ सीमांकित वन सीमा से बाहर है तथा जिला अवर निबंधक, गिरिडीह द्वारा निर्गत सम्पत्ति अवभार प्रमाण पत्र के अनुसार अवभार मुक्त है। जिसमे से 16.42 एकड़ में मकान बना हुआ है तथा 136.38 एकड़ में खेती हेतु अतिक्रमित है। शेष रकबा--185.59 एकड़ भूमिअतिकमण--मुक्त है तथा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त है, जिसका प्लौट-वार विवरण निम्नवत है :--

मौजा का नाम	थाना का नाम	थाना न0	प्लौट न0	प्रस्तावित रकबा	अतिकमित रकबा		क्षतिपूरक वनरोपण उपयुक्त रकबा
					मकान	खेती	
तेलोडीह	गिरिडीह	109	5	3.40	1.15	2.25	0.00
			6	26.74	0.00	26.74	0.00
			967	11.64	0.00	11.64	0.00
करहरबारी	गिरिडीह	194	13	54.46	5.50	32.00	16.96
			188	40.17	0.00	2.00	38.17
			334	12.44	1.14	1.00	10.30
			338	16.35	2.86	1.00	12.49
			961	10.46	0.00	6.00	4.46
			1338	3.75	0.00	3.75	0.00
			2418	61.19	4.17	2.00	55.02
			1408	16.44	0.40	8.00	8.04
			1418	81.35	1.20	40.00	40.15

वन विभाग को उक्त भूमि हस्तानान्तरण के समय अतिक्रमण एवं किसी भी प्रकार की भू--विवाद से मुक्त रखने पर ही हस्तानान्तरण स्वीकार्य होगी। उक्त भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई भी दावेदार को दावा सम्पुष्ट की गई है अथवा नहीं ? इस बिन्दु की जाँच जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह से कराने एवं प्रस्तावित रकबा का खतियान से पुनः मिलान कर अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन,

22/12/2018

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

22/12/18

E:\FCA-2\2017\AUL Collector NOC Vedanta- 6.doc

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316
email-dfogiridiheast@jharkhandmail.gov.in, dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक– 3046 दिनांक– 22.12.2018

सेवा में

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

विषय – गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग – आपका कार्यालय पत्रांक–2188 दिनांक–18.12.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 3006 दिनांक–18.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा बेंगाबाद प्रखण्ड से संबंधित संशोधित रकबा 71.00 एकड़ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया गया हैं।

इस कार्यालय के पत्रांक–3006 दिनांक–18.12.2018 को संशोधित करते हुए प्रतिवेदित किया जाता है कि उक्त आवेदित स्थल मौजा– महुआर, थाना– बेंगाबाद, थाना नं0–17, जिला– गिरिडीह, प्लॉट सं0–4207 का पुनः स्थलीय जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र द्वारा की गई तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त मौजा के प्लॉट नं0–4207 अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि नहीं है। अवर निबंधक, गिरिडीह द्वारा निर्गत सम्पत्ति अवभार प्रमाण–पत्र के अनुसार उक्त भूमि पर 172.5 डिसमल भूमि अधिभार से मुक्त नहीं है तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–378 दिनांक–20.12.2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर लगभग 15 एकड़ में खेती एवं 0.45 एकड़ में चहार–दिवारी निर्माण कर अतिक्रमित है। अतएव कुल आवेदित रकबा–71.00 एकड़ में (15.00 एकड़ + 0.45 एकड़ + 1.73 एकड़) 17.18 एकड़ भूमि को छोड़ कर अवशेष 53.82 एकड़ भूमि क्षतिपपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त है।

वन विभाग को उक्त भूमि हस्तानान्तरण के समय उक्त अतिकमण एवं किसी भी प्रकार की भू–विवाद से मुक्त रहने पर ही हस्तानान्तरण स्वीकार्य होगी। उक्त भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई भी दावेदार का दावा सम्पुष्ट की गई है अथवा नहीं ? इस बिन्दु की जाँच जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह से करा कर अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
22/12/2018
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

22/12/18

SAVE SAL TREE SAVE JHARKHAND

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316
email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

पत्रांक– 1511 दिनांक– 27.06.18

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

विषय – चिन्हित एवं सत्यापित जंगल–झाड़ी गैर वन भूमि के स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग – अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह का पत्रांक–899 दिनांक–31.05.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग मे सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित झारखण्ड राज्यान्तर्गत Allocated/ Vestwd Cool Block हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए West Bengal Power Development Corporation Ltd. के पछवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक मे अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 517.62 एकड़ जंगल–झाड़ी भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति/उपयुक्तता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सूची उपलब्ध कराई गई है।

उक्त भूमि का जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के द्वारा विषयक भूमि से संबंधित निर्गत Non-Encumbrance Certificate एवं संबंधित वनपाल एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.06.2018 को किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि उक्त आवेदित 517.62 एकड़ अधिसूचित वन सीमा से बाहर है। **जिसमें 239.92 एकड़ अतिक्रमण मुक्त है एवं क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त** है, जिसका विवरणी निम्नवत है :–

क्रम	मौजा का नाम	थाना एंव थाना नंबर	खाता नं0	प्लौट नं0	प्रस्तावित गैरमजरूआ भूमि का रकवा (एकड़ मे)	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध जमीन	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पत्थराटांड़	देवरी-530	1	28	20.40	8.00	
				6	4.30	2.00	
2	गम्हारटांड़	देवरी-44	19	12	12.04	12.04	
				25	5.24	-	
				138	14.63	8.00	
				139	34.23	18.00	

D:\AMANA...\...2017\dc grd janch1.doc

3	गिधाटांड़	देवरी-543		5	3.20	3.20	
				3	3.36	-	
4	फतेहपुर	देवरी-142	43	131	87.00	40.00	
5	सोनरे	देवरी-53	19	134	2.90	2.90	
				1	16.20	16.20	
				265	16.10	-	
				294	7.80	-	
				334	6.90	-	
				362	7.60	2.60	
6	डुब्बा	तिसरी-144	1	42	11.52	7.00	
7	नयनपुर	तिसरी-176	1	11	4.10	-	
				1	40.08	40.08	
8	बालरो	तिसरी-76	1	32	44.90	44.90	
9	अंजनवां	तिसरी-83	1	293	17.52	15.00	
10	राजोखार	गावां-339	8	183	8.60	-	
11	डोंगरिया	गावां-300	10	121	10.00	-	
12	हरलाघाटी	गावां-253	1	224	24.00	10.00	
13	भतगढ़वा	गावां-251	1	175	11.00	-	
14	चरकी	गावां-255	1	67	35.00	-	
15	माल्डा	गावां-287	7	105	21.00	-	
				194		-	
16	अमझार	गावां-245	1	868	20.00	10.00	
17	लौरिया	गावां-244	1	197	20.00	-	
18	तारापुर	गावां-248	1	491	8.00	-	
				Total:-	**517.62**	**239.92**	

1. उक्त प्रमाण पत्र मात्र क्षतिपूरक वनरोपण के लिए दिया जा रहा है।
2. उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के समय भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का भू--विवाद होता है, तो उसका समाधान राजस्व विभाग के द्वारा किया जायगा।

आपका विश्वासी,

27/06/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

27/6/18

D:\AMANAT-1\Letter 2017\dc grd jan 1.doc